चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा
नीट यू0जी0–2026 काउंसिलिंग

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु
(एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रम)

विवरण पुस्तिका (Brochure)

Directorate of Medical Education and Training
Uttar Pradesh, Lucknow

National Eligibility cum Entrance Test
NEET UG -2026 Counseling

For Admission in Government/Private
Medical & Dental College/Institutions/University
(M.B.B.S. & B.D.S. Courses)

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ कमांक
अध्याय–1	काउंसिलिंग प्रकिया– फ्लो चार्ट	**3**
अध्याय–2	अर्हताएं	**4**
अध्याय–3	आरक्षण	**5–6**
अध्याय–4	पंजीकरण प्रकिया	**7–8**
अध्याय–5	च्वाइस फिलिंग तथा आवंटन प्रक्रिया	**9–11**
अध्याय–6	प्रवेश प्रकिया	**12**
अध्याय–7	त्यागपत्र	**13–14**
अध्याय–8	अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड	**15**
अध्याय–9	सहायता केन्द्र	**16–17**
	अनुलग्नक	
I.	ऑनलाइन प्रमाण पत्र सत्यापन केन्द्र	**18**
II.	प्रवेश हेतु नोडल सेन्टर	**19–20**
III.	राजकीय क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों की सूची	**21–22**
IV.	निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों की सूची	**23–24**
V.	दिव्यांगजन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्धारित केन्द्रों की सूची	**25–28**
VI.	एन0टी0ए0 शैक्षणिक अर्हताएं	**29–32**
VII.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र का प्रारूप	**33–34**
VIII.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र का प्रारूप	**35**
IX.	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए के प्रमाण पत्र का प्रारूप	**36**
X.	शासकीय सेवा बाण्ड का प्रारूप	**37–38**

अध्याय–1

काउंसिलिंग प्रक्रिया– फ्लो चार्ट

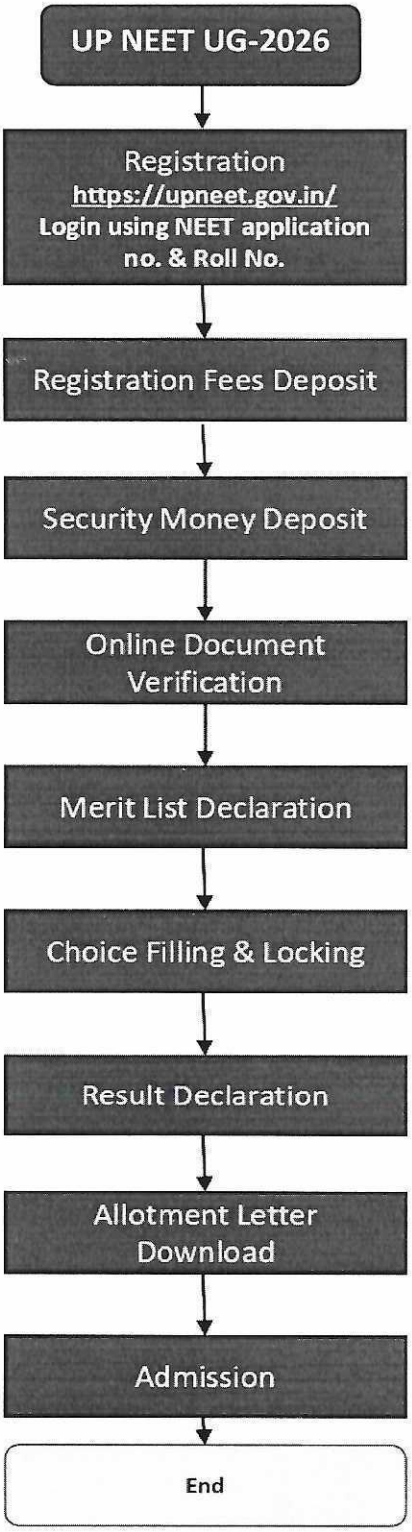

अध्याय–2

अर्हताएं

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे नीट यू0जी0–2026 की परीक्षा में अर्ह घोषित किया गया हो।

- उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एन0टी0ए0 द्वारा जारी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु कट–ऑफ स्कोर के अनुसार यू0पी0 नीट यू0जी0–2026 की काउंसिलिंग हेतु अर्ह होगें।

- अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एन0टी0ए0 द्वारा जारी अनारक्षित वर्ग के कट–ऑफ स्कोर के अनुसार ही यू0पी0 नीट यू0जी0–2026 की काउंसिलिंग में पंजीकरण हेतु अर्ह होगें। ऐसे अभ्यर्थियों को एन0टी0ए0 द्वारा जारी आरक्षित वर्ग के कट–ऑफ स्कोर का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

- प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षायें उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाईल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट में से एक अथवा दोनों परीक्षायें उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की है तथा उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी है, ऐसे अभ्यर्थियो को उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं मे संचालित स्नातक पाठ्यक्रम मे प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं होगा तथा भारत के अन्य प्रदेशों से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होंगे।

- यू0पी0 नीट यू0जी0–2025 के स्ट्रे एवं स्पेशल स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया हो, वे यू0पी0 नीट यू0जी0–2026 की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह नहीं होंगे।

- एन0टी0ए0 (National Testing Agency) द्वारा नीट यू0जी0–2026 हेतु जारी ब्रोशर मे उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु लागू होगी। **(अनुलग्नक–VI)**

अध्याय–3
आरक्षण

- यू0पी0 नीट यू0जी0–2026 के काउंसलिंग हेतु आरक्षण शासनादेश संख्या–**I/1448377/2026, Dated 01-09-2026** के अनुसार अनुमन्य होंगे।
- आरक्षण के संबंध में उक्त शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

क) उर्द्धवाधर (Vertical) आरक्षणः–

- प्रदेश में स्थापित राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/स्वशासी संस्थानों (विशेष समन्वित योजना (एस0सी0पी0) के अन्तर्गत स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों को छोड़कर) में स्नातक पाठ्यक्रम की स्टेट कोटे की सीटो पर उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आरक्षित वर्ग की जातियों की अद्यतन सूची के अनुसार निम्नानुसार आरक्षण अनुमन्य होगाः–

1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी	10 प्रतिशत

- शासनादेश संख्या–I/1448377/2026, Dated 01-09-2026 में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रदेश मे विशेष समन्वित योजना (एस0सी0पी0) के अन्तर्गत स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर में प्रत्येक कालेज में उर्द्धवाधर आरक्षण के अन्तर्गत शासन द्वारा स्टेट कोटे की सीटों का श्रेणीवार विभाजन निम्नवत् किया गया हैः–

क्र0 सं0	श्रेणी	राज्य सरकार द्वारा आवंटित सीटे
1	अनुसूचित जाति	62
2	अनुसूचित जनजाति	05
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	11
4	अनारक्षित	07
	योग	85

ख) क्षैतिज (Horizontal) आरक्षणः–

1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए	02 प्रतिशत
3	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए	05 प्रतिशत
4	एन0सी0सी0 कैडेट के लिए (कम से कम बी ग्रेडिंग सहित सी अथवा बी सर्टिफिकेट)	01 प्रतिशत
5	महिला अभ्यर्थियो के लिए	20 प्रतिशत

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी हेतु दिनांक **01 अप्रैल, 2026** या उसके बाद का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र (दिव्यांगता एवं एन0सी0सी0 प्रमाण–पत्र को छोड़कर) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगें।
- भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।

- दिव्यांगता प्रमाण–पत्र, मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी, Director General of Health Services (DGHS), Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्धारित केन्द्रों से निर्गत एवं निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप पर दिव्यांगता प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे। दिव्यांगता के सम्बन्ध में एन0एम0सी0, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर जारी गाइड–लाइन्स में निहित निर्देश ही मान्य होंगे।**(अनुलग्नक–V)**
- एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र (कम से कम बी ग्रेडिंग सहित सी अथवा बी सर्टिफिकेट) निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगें।
- निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक संस्थानों की 50 प्रतिशत सीटों पर संबंधित धार्मिक अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को आवंटन प्रदान किया जायेगा तथा 50 प्रतिशत सीटें ओपेन श्रेणी के अभ्यर्थियों से आवंटित की जाएगी।
- धर्म सम्परिवर्तन करने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों के अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, उत्तर प्रदेश विधि विरूद्व धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ही मान्य होगा।
- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–429/बावन–4–98–33/98 दिनांक 28.10.1998 द्वारा अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र जारी किये जाने हेतु जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार, जिसके क्षेत्र में संबंधित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा जन्मा हो, को अधिकृत किया गया है। यह प्रमाण पत्र किसी अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, जो संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत हो अथवा संबंधित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है।
- उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के धर्म सम्परिवर्तन करने वाले अभ्यर्थियों के अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ही मान्य होगें।
- नीट 2026 परीक्षा के आवेदन के समय उ0प्र0 राज्य के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपनी श्रेणी अनारक्षित अंकित की गयी हो, तो यू0पी0 नीट यू0जी0–2026 के काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण के समय ऐसे अभ्यर्थियो द्वारा अपना पंजीकरण आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत कराने पर संबंधित आरक्षित श्रेणी का लाभ नियमानुसार देय होगा।
- शासनादेश संख्या–22 सीएम/26–3–2013 दिनांक–10.06.2013 द्वारा विमुक्त जाति के आरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु संख्या–03 एवं 04 में निम्न व्यवस्था की गयी है:–

  बिन्दु 3– जहॉ तक विमुक्त जातियों को आरक्षण की सुविधा की अनुमन्यता का प्रश्न है कि विमुक्त जाति के अन्तर्गत आने वाली, जो जातियॉ अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत है, उन्हे तद्नुरूप उक्त वर्गो हेतु अनुमन्य आरक्षण की सुविधा प्रदत्त होगी।

  बिन्दु 4– यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नही है, अपितु जैसा कि उपर स्पष्ट किया गया है कि विमुक्त जातियों की सूची में अंकित वह जातियॉ, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है, उन्हे उक्त जाति को अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

अध्याय–4
पंजीकरण प्रक्रिया

ऑनलाइन पंजीकरण एवं पंजीकरण शुल्क–

- पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी नीट काउंसिलिंग की वेबसाइट ***https://upneet.gov.in*** पर लॉगिन करते हुये नीट यू0जी0–2026 के रोल नं0 एवं एप्लीकेशन नं0 का प्रयोग करेगें तथा स्क्रीन पर दिये गये दिशा–निर्देशो के अनुसार पंजीकरण फार्म भरेंगे।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि नीट काउंसिलिंग की वेबसाइट पर पंजीकरण फार्म स्वयं भरे न कि किसी ऐजेन्ट या अन्य व्यक्ति के द्वारा पंजीकरण फार्म भरवायें, साथ ही पंजीकरण हेतु अभ्यर्थी अपने स्वयं के मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आई0डी0 का इस्तेमाल करें।
- पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा नीट परीक्षा के समय दिये गये विवरण यथा अभ्यर्थी का नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि स्वतः प्रदर्शित होगी जिसमें कोई भी बदलाव संभव नही है। तत्पश्चात अभ्यर्थी को पंजीकरण फार्म में समस्त अपेक्षित अन्य विवरण यथा श्रेणी/उपश्रेणी, अभ्यर्थी का पता, मोबाइल नम्बर, ईमेल आई0डी0 इत्यादि अंकित करना होगा।
- पंजीकरण फार्म भरने के पश्चात् अभ्यर्थी को एक पासवर्ड बनाना होगा। उक्त पासवर्ड का प्रयोग अभ्यर्थी द्वारा च्वाइस फिलिंग के समय किया जायेगा। अभ्यर्थी अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति से साक्षा न करें।
- काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से निम्नानुसार देय होगाः–
  प्रथम/द्वितीय/तृतीय चक्र एवं स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउन्सिलिंग हेतु रू0 2,000/–(रूपये दो हजार मात्र)
- स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियो को नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा मे वापस देय नहीं (**Non Refundable**) होगा।
- पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थी को पंजीकरण फार्म एवं पंजीकरण शुल्क की रसीद डाउनलोड करनी होगी।

धरोहर धनराशि :–

- धरोहर धनराशि जमा करने से पूर्व अभ्यर्थी काउंसिलिंग हेतु अपनी अर्हता स्वयं जॉच ले।
- यू0पी0 नीट यू0जी0 2026 की काउंसिलिंग हेतु धरोहर धनराशि ऑनलाइन माध्यम से निम्नानुसार देय होगाः–
  1. राजकीय क्षेत्र के कालेजों हेतु रू0 30,000/–(रूपये तीस हजार मात्र)
  2. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों हेतु रू0 2,00,000/– (रूपये दो लाख मात्र) तथा
  3. निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों हेतु रू0 1,00000/–(रू0 एक लाख मात्र)
- ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी दोनों क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेज की सीटों हेतु काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं उन्हें मात्र रू0 2,00,000/–(रूपये दो लाख मात्र) की धरोहर धनराशि ही जमा करनी होगी।

- ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी दोनों क्षेत्र के डेण्टल कालेज की सीटों हेतु काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं उन्हें मात्र रू0 1,00,000/–(रूपये एक लाख मात्र) की धरोहर धनराशि ही जमा करनी होगी।
- धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि की रसीद डाउनलोड करनी होगी।
- जिन अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं की जायेगी, वह च्वाईस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- समस्त चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नही होती है तो ऐसी दशा में उसकी धरोहर धनराशि, **जिस बैंक खाते से भुगतान किया होगा, उसी बैंक खाते में नियमानुसार वापस की जायेगी।**
- राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश लेने के उपरान्त धरोहर धनराशि, **जिस खाते से भुगतान किया होगा, उसी बैंक खाते में नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।**
- **अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि धरोहर धनराशि का भुगतान अपने बैंक खाते अथवा अपने माता/पिता के बैंक खाते से ही करें, ताकि रिफण्ड के समय किसी भी असुविधा से बचा जा सके।**

आनलाइन अभिलेखों का सत्यापन –

- यू0पी0 नीट यू0जी0–2026 के अन्तर्गत काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन आनलाइन किया जायेगा।
- पंजीकरण करते समय अभ्यर्थी को, अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन हेतु दिये गये नोडल सेण्टरों में से किसी एक नोडल सेन्टर का चयन करना होगा। **(अनुलग्नक–I)**
- अभ्यर्थियों द्वारा इस हेतु निम्नांकित अभिलेख अपलोड किए जायेंगे:–
  1. हाईस्कूल मार्कशीट/प्रमाण पत्र
  2. इण्टरमीडिएट मार्कशीट
  3. आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (OBC, SC, ST, EWS & EX. Army, NCC, FF, PwD) (यदि लागू हो तो)
  4. डोमिसाईल सर्टिफिकेट (यदि लागू हो तो)

अध्याय–5
च्वाइस फिलिंग तथा आवंटन प्रक्रिया

- धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को च्वाईस फिलिंग करना होगा।
- अभ्यर्थी च्वाईस लॉकिंग हेतु उपलब्ध विकल्पों में से सभी विकल्पों का चयन करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
- **च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य होगा। च्वाईस लॉक न करने की दशा में सीट आवंटन नही होगा।**
- अभ्यर्थी द्वारा चयनित विकल्पों के क्रम से ही उसके रैंक के अनुसार उपलब्ध सीट का आवंटन किया जाएगा।
- काउंसिलिंग प्रकिया ऑनलाईन माध्यम से चार चक्रों (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड) में सम्पन्न की जायेगी।
- अभ्यर्थी प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीट को तृतीय चक्र की काउंसिलिंग तक अपग्रेड करने हेतु अर्ह होंगे।
- अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन हेतु दिये गये विकल्प के अनुसार यदि कोई सीट आवंटित हो जाती है तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी। पुनरावंटन (Reshuffle) न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व प्रवेशित सीट यथावत बनी रहेगी।
- पुनरावंटन हेतु अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग के दौरान पूर्ववर्ती चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट का विकल्प अगले चक्र की काउंसिलिंग मे न भरे। यदि पूर्व प्रवेशित सीट का विकल्प भरने के पश्चात् अभ्यर्थी को पुनरावंटन के फलस्वरूप वही सीट पुनः आवंटित हो जाती है तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी को आवंटित मेडिकल/डेंटल कॉलेज/नोडल सेंटर पर उपस्थित होकर प्रवेश प्रकिया पुनः सम्पन्न करनी होगी। अन्यथा की दशा में पूर्व से प्रवेशित सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का ही होगा।

(क–) प्रथम चक्र की काउन्सिलिंगः–

- राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित/प्रवेशित अभ्यर्थियो को निःशुल्क निर्गमन (Free Exit) की सुविधा होगी अर्थात् प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात् यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है तो, उसकी धरोहर धनराशि जब्त नहीं की जाएगी।
- प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से निःशुल्क निर्गमन (Free Exit) की सुविधा प्राप्त अभ्यर्थी द्वितीय अथवा तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनः प्रतिभाग कर सकता है।

(ख–) द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंगः–

- प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से अनावंटित/ प्रवेशित / निःशुल्क निर्गमन (Free Exit) की सुविधा प्राप्त अभ्यर्थियो को द्वितीय चक्र की कांउसिलिग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति मे जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चक्र की कांउसिलिंग मे प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात ही अर्ह होगे।

- राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी तथा राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कॉलेजों हेतु प्रवेश शुल्क को छोड़कर तत्समय जमा समस्त शुल्क एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कॉलेजों हेतु अभ्यर्थी द्वारा तत्समय जमा शिक्षण शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

(ग–) तृतीय चक्र की काउन्सिलिंगः–

- प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से अनावंटित तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति मे जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम/द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि तथा तत्समय जमा किये गये समस्त शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम/द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी तथा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।
- तृतीय चक्र की काउंसिलिंग के आवंटन की प्रोसेसिंग के पश्चात् यदि आरक्षित श्रेणी की कोई भी सीट रिक्त रह जाती है, तो ऐसी सभी सीटों को निम्नांकित तालिकानुसार आमेलित करते हुए तृतीय चक्र की आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जाएगीः–

CONVERSION ALGORITHM

S.No.	CONVERSION CATEGORY	CATEGORY CONVERTED TO
1	ST (PwD, Ex, FF, NCC)	ST
2	SC (PwD, Ex, FF, NCC)	SC
3	UR (PwD, Ex, FF, NCC)	UR
4	OBC (PwD, Ex, FF, NCC)	OBC
5	EWS (PwD, Ex, FF, NCC)	EWS
6	ST	SC
7	SC	UR
8	OBC	UR
9	EWS	UR
10	Minority	UR

(घ–) स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड के सम्बन्ध मेंः–

- स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होगे, जिन्हें यू0पी0 नीट यू0जी0 2026 के किसी भी चक्र की काउंसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु नीट यू0जी0–2026 की ऑल इण्डिया काउंसिलिंग एवं अन्य राज्यों की काउंसिलिंग के किसी भी चक्र के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे।

- यू0पी0 नीट यू0जी0– 2026 के प्रथम चक्र/द्वितीय चक्र/तृतीय चक्र की काउंसिलिंग से बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की च्वॉइस फ़िलिंग हेतु अर्ह होंगे। ऐसे अभ्यर्थी नियमानुसार राजकीय/निजी क्षेत्र के एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु देय धरोहर धनराशि ऑनलाइन माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। जिन अभ्यर्थियों की धरोहर धनराशि जमा नहीं होगी, वे अभ्यर्थी च्वॉइस फ़िलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को पृथक से रू0 2000/– पंजीकरण शुल्क जमा करते हुये नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व चक्रों की काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं किये हों, एवं प्रथम बार स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर रहे हों, उन्हें नियमानुसार धरोहर धनराशि जमा करना आनिवार्य होगा।
- प्रथम/द्वितीय/तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में पंजीकृत एवं अनावंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में धरोहर धनराशि जमा की गयी है, उन्हें स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन प्राप्त समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त मूल शैक्षणिक/आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र आवंटित मेडिकल कालेज/नोडल सेन्टर पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति मे अभ्यर्थी के प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन के पश्चात् प्रवेश नही लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यू0पी0 नीट यू0जी0 काउंसिलिंग 2027–28 के लिये प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

अध्याय–6
प्रवेश प्रक्रिया

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियो को प्रवेश प्रकिया आवंटित कालेज में सम्पन्न करनी होगी।

- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय एवं अल्प–संख्यक संस्थान हेतु प्रवेश प्रकिया के सम्बन्ध में रिट याचिका (सिविल) संख्या–267/2017 दार्–अस–सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल कांउसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के क्रम में, विभिन्न मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों को नोडल सेण्टर बनाकर निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया पूर्ण की जायेगी।

- निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेश हेतु निर्धारित नोडल सेन्टर की सूची संलग्न है। **(अनुलग्नक–II)**
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय ही शासन द्वारा निर्धारित **शिक्षण शुल्क** की धनराशि को सी0टी0एस0 डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पक्ष में देय हो,** निर्धारित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।
- अल्पसंख्यक संस्थानों/कॉलेजों में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को सम्बन्धित अल्पसंख्यक कॉलेजों/संस्थानों द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क की धनराशि को सी0टी0एस0 डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पक्ष में देय हो,** निर्धारित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे एवं अल्पसंख्यक संस्थान भी अपने कालेजों हेतु निर्धारित शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे।
- प्रवेश के समय निम्नलिखित मूल अभिलेखों का सत्यापन आवंटित मेडिकल अथवा डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर पर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कराया जायेगाः–

1- आंवटन पत्र की कापी।
2- नीट यू0जी0–2026 का प्रवेश पत्र व स्कोर कार्ड।
3- हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की मार्कशीट तथा प्रमाण पत्र।
4- सामान्य निवास प्रमाण–पत्र (उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उ0प्र0 के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत) (यदि लागू हो तो)
5- आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र (उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उ0प्र0 के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत) (यदि लागू हो तो)
6- पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स/पैन कार्ड/पासपोर्ट)

- प्रवेश के समय अभ्यर्थी को समस्त अभिलेख मूल रूप में एवं स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- प्रवेश के समय मूल अभिलेख न होने या सत्यापन में अभिलेख गलत पाये जाने पर आवंटन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश लेने के उपरान्त किसी भी प्रमाण पत्र के सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रकिया में यदि कोई भी अभिलेख/प्रमाण पत्र/सूचना कूट रचित पायी जाती है तो इस स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये सुसंगत धाराओं के अनुसार विधि–सम्मत कार्यवाही की जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

अध्याय–7
त्याग–पत्र

- यू0पी0 नीट यू0जी0–2026 के काउंसलिंग हेतु त्यागपत्र शासनादेश संख्या– **I/1448377/2026, Dated 01-09-2026** के अनुसार अनुमन्य होंगे।

- त्यागपत्र के संबंध में शासनादेश संख्या– **I/1448377/2026, Dated 01-09-2026** में दिये गये प्राविधान के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–
    - त्याग–पत्र देने हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिनके द्वारा आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की गयी हो। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया जिस कालेज/नोडल सेन्टर पर सम्पन्न की गयी थी, उसी कालेज/नोडल सेन्टर पर अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर त्याग–पत्र देना होगा। किसी भी अन्य माध्यम से प्रेषित किया गया त्यागपत्र मान्य नही होगा।
    - राजकीय मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों/नोडल सेन्टर के प्रभारी अधिकारी समस्त त्याग–पत्र नियमानुसार स्वीकार करते हुए एन0आई0सी0 के पोर्टल पर निर्धारित समयान्तर्गत अपडेट करेंगे। पोर्टल पर अपडेट किये गये त्यागपत्र ही मान्य होंगे।

(क–) प्रथम चक्र की काउन्सिलिंगः–

- यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त कर प्रदेश के किसी भी राजकीय/निजी क्षेत्र की मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात वह प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के च्वाईस फिलिंग से दो दिन पूर्व **(उदाहरणानार्थ यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग 24 जुलाई 2026 को पूर्वाहन 11:00 बजे से प्रारम्भ है, तो अभ्यर्थी 22 जुलाई 2026 को पूर्वाहन 11:00 बजे तक)** अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को निःशुल्क निर्गमन (Free exit) की सुविधा होगी, अर्थात् अभ्यर्थी की सम्पूर्ण धरोहर धनराशि अभ्यर्थी को वापस कर दिया जायेगा। साथ ही राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रवेश शुल्क को छोड़कर तत्समय जमा समस्त शुल्क अभ्यर्थी को वापस कर दिया जायेगा एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु तत्समय जमा शिक्षण शुल्क अभ्यर्थी को वापस कर दिया जायेगा।
- प्रथम चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदि प्रथम चक्र की काउंसिलिंग हेतु निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् त्याग–पत्र देता है तो ऐसे अभ्यर्थियो पर द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से संबंधित त्यागपत्र के प्राविधान लागू होंगे।

(ख–) द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंगः–

- राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी तृतीय चक्र की काउंसिलिंग के च्वाईस फिलिंग से दो दिन पूर्व तक अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी साथ ही राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रवेश शुल्क को छोड़कर तत्समय जमा समस्त शुल्क अभ्यर्थी को वापस कर दिया जायेगा एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु तत्समय जमा शिक्षण शुल्क अभ्यर्थी को वापस कर दिया जायेगा।

- प्रथम/द्वितीय चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् त्याग–पत्र देता है तो ऐसे अभ्यर्थियो पर तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग से संबंधित त्यागपत्र के प्राविधान लागू होंगे।

(ग–) तृतीय चक्र की काउन्सिलिंगः–

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रदेश की तृतीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड के च्वाईस फिलिंग से दो दिन पूर्व अपनी सीट से त्याग पत्र देता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि तथा तत्समय जमा किये गये समस्त शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रदेश की तृतीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड के च्वाईस फिलिंग से दो दिन पूर्व अपनी सीट से त्याग–पत्र देता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी साथ ही उसके द्वारा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।
- प्रथम/द्वितीय/तृतीय चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् त्याग–पत्र देता है तो ऐसे अभ्यर्थियो पर स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउन्सिलिंग से संबंधित त्यागपत्र के प्राविधान लागू होंगे।

(घ–)स्ट्रे वैकेन्सी राउण्डः–

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कॉलेजों हेतु स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड के पश्चात् अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व यदि कोई अभ्यर्थी अपनी सीट से त्याग–पत्र देता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि तथा तत्समय जमा किया गया समस्त शुल्क जब्त कर लिया जायेगा। यदि अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि वापस की जा चुकी है, तो वह भी अभ्यर्थी को वापस करनी होगी। धरोहर धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पक्ष में देय होगी।

अध्याय–8
अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड

- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–950/71–2–82/2017 दिनांक 07.03.2018 यथा संशोधित में प्रदान निर्देशो के क्रम में राजकीय मेडिकल/डेण्टल कालेजो/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भराया जायेगा, जो निम्नानुसार है:–

क्र0	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
1	स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) पाठ्यक्रम	02 वर्ष	रू0 10.00 लाख	"यथासम्भव/यथावश्यकता महानगरों को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी0जी0 जे0आर0 के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।"

डिबारमेन्ट:–

- शासनादेश संख्या–।/676928/2024 दिनांक 26 जून 2024 के क्रम में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा अन्तिम चक्र की काउंसिलिंग के पश्चात् पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व सीट छोड़ी जाती है, तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया से Debar कर दिया जायेगा।

अध्याय–9
सहायता केन्द्र

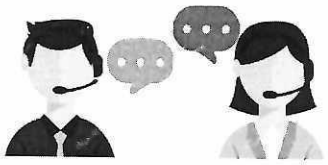

यू.पी. नीट 2026 सहायता केंद्र

यू.पी. नीट 2026 काउंसिलिंग से संबधित जानकारी के लिए यू.पी. नीट की वेबसाइट https://upneet.gov.in पर जाकर FAQ सेक्शन (एस बी आई बैंक, आई सी आई सी आई बैंक एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग) को ध्यान से पढे । यदि FAQ से आपके समस्या का समाधान न होने की दशा में:

- बैंक से संबंधी अपनी समस्या के लिए नीचे दिये गये एस0बी0आई बैंक एवं आई0सी0 आई0सी0आई बैंक के मोबाइल नंबर पर कार्यालय समय (सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक) में कॉल करे या ई-मेल के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें।
- अन्य किसी भी समस्या के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के सहायता केंद्र पर कार्यालय समय (सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक) पर संपर्क करें।

भारतीय स्टेट बैंक से संबंधी समस्या के लिए दिये किसी भी नंबर पर संपर्क करें-
मोबाइल नंबर- 7007322364, 9919443034
ई-मेल- sbi.06144@sbi.co.in

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक से संबंधी समस्या के लिए दिये किसी भी नंबर पर संपर्क करें-
मोबाइल नंबर- 9712942974, 8853002213, 9935012172, 9454850549
ई-मेल- - shweta.vaish@icici.bank.in, abhinay.patel@icici.bank.in, avikal.srivastava@icici.bank.in, pravesh.saxena@icicibank.com

चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधी समस्या के लिए दिये किसी भी नंबर पर संपर्क करें-
मोबाइल नंबर- 8189011696, 8189011697, 8189011698, 8189011699, 8189011700
ई-मेल- upneetcounseling2026@gmail.com

- हेल्पलाइन नम्बर एवं ईमेल के माध्यम से जवाब केवल कार्यालय दिवस में ही दिया जायेगा।
- (कार्यालय समय–11:00 AM To 05:00 PM)

नोटः– अभ्यर्थी सभी ईमेल केवल आधिकारिक ईमेल पर ही भेजें। निम्न जानकारी के बिना भेजे गए ईमेल पर विचार नहीं किया जायेगा।

I. नाम
II. पंजीकरण संख्या
III. रोल नम्बर
IV. ऑल इंडिया रैंक
V. मोबाइल नम्बर
VI. ईमेल आईडी

- **अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन प्रश्नों के उत्तर सूचना बुलेटिन में उपलब्ध हैं, उनका उत्तर नहीं दिया जाएगा।**

- किसी भी विवाद की स्थिति में केवल लखनऊ स्थित माननीय न्यायालयों का ही विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

अनुलग्नकः।

क्र0सं0	अभिलेखों के ऑनलाईन सत्यापन हेतु नोडल सेण्टर
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
2	डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ
3	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर
4	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा
5	एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ
6	एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झाँसी
7	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर
8	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, प्रयागराज
9	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
10	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ
11	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
12	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज
13	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन
14	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर
15	राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा
16	जिम्स, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर
17	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं
18	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या
19	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोज़ाबाद
20	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहाँपुर।

अनुलग्नकः।।

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों मे आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया पूर्ण किये जाने हेतु नोडल सेन्टर की सूची

क0	नोडल सेन्टर	निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज	निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेज
1.	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।	1. कैरियर इंस्टी0 आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ।	1. कैरियर इंस्टी0 आफ डेन्टल साइंसेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ।
		2. एराज लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ।	
		3. टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ।	2. सरस्वती डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च, लखनऊ।
		4 इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेज,लखनऊ।	3. सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट आफ डेन्टल साइन्सेज, लखनऊ
		5 प्रसाद इंस्टी0 आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ।	
		6 सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड हेल्थ साइन्सेज, लखनऊ।	
2.	डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ	7 हिन्द इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज, बाराबंकी	
		8 मेयो इंस्टीटयूट आफ मेडिकल कालेज साइन्सेज, बाराबंकी।	4. बी0बी0डी0 कालेज आफ डेन्टल साइन्सेज, लखनऊ।
		9 हिन्द इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज, सीतापुर।	5. चन्द्रा डेण्टल कालेज, बाराबंकी।
3.	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर	10 रामा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, कानपुर।	6. रामा डेन्टल कालेज, कानपुर।
		11 सरस्वती मेडिकल कॉलेज, उन्नाव।	7. महाराणा प्रताप डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, कानपुर।
		12.नारायणा मेडिकल कालेज, कानपुर।	
		13 डॉ बी0एस0 कुशवाहा इंस्टिटच्यूट ऑफ मेडिकल साइंस , कानपुर।	
		14 प्रसाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उन्नाव	
4.	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा।	15 के0डी0 मेडिकल कालेज, मथुरा।	8. के0डी0 डेन्टल कालेज, मथुरा।
		16 एफ0एच0 मेडिकल कालेज, आगरा।	
		17 कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, मथुरा।	
		18 एस0के0एस0 मेडिकल कालेज, मथुरा।	
		19 फूलन सिंह मेडिकल कॉलेज, एफ0एस0 यूनिवर्सिटी, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।	
5.	एल0एल0आर0 एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ।	20 सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ।	9 सुभारती डेन्टल कालेज, मेरठ।
		21 सरस्वती इंस्टीटयूट आफ मेडिकल कालेज साइन्सेज, हापुड	10. कालका डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ।
		22 मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर	11. कोठीवाल डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, मुरादाबाद।
		23 नेशनल कैपिटल रीजन इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज (एमएसवाई), मेरठ।	
		24 रामा मेडिकल कालेज हापुड	
		25 अजय सांगल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज एण्ड रिसर्च सेन्टर एण्ड आयुषमान हास्पिटल, शामली	
		26 राधा गोविन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मेरठ	

क0	नोडल सेन्टर	निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज	निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेज
6.	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज प्रयागराज	27 हेरिटेज इंस्टीटयूट आफ मेडिकल कालेज साइन्सेज, वाराणसी। 28 यूनाइटेड इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, प्रयागराज।	
7.	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर	29 श्री गोरक्षनाथ मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, गोरखपुर। 30 के0एम0सी0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, महाराजगंज।	12. पूर्वांचल इंस्टीट्यूट डेन्टल साइन्स, गोरखपुर। 13. डेन्टल कालेज, आजमगढ़।
8.	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोयडा।	31 स्कूल ऑफ मेडिकल साइसेंज, (शारदा यूनिवर्सटी) ग्रेटर नोयडा । 32 नोयडा इन्टरनेशनल इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंज। 33 जी0एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुआ, हापुड।	14. आई0टी0एस0 सेन्टर फार डेन्टल मुरादनगर गाजियाबाद। 15. स्कूल ऑफ डेण्टल साइसेंज, (शारदा यूनिवर्सटी) ग्रेटर नोयडा। 16. इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज गाजियाबाद। 17. आई0टी0एस0 डेण्टल कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर ग्रेटर नोयडां। 18.आई0डी0एस0टी0 डेण्टल कालेज, मोदीनगर, गाजियाबाद। 19. डी0जे0 डेण्टल कालेज गाजियाबाद। 20. श्री बांके बिहारी डेण्टल कालेज गाजियाबाद।
9.	बरेली इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय, बरेली।	34 रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज बरेली। 35 वरूण अर्जुन मेडिकल कालेज शाहजहॉपुर। 36 राजश्री मेडिकल कालेज बरेली। 37 श्री राममूर्ति स्मारक इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंज बरेली।	21. आई0डी0एस0 डेण्टल कालेज बरेली।
10.	तीर्थांकर महावीर मेडिकल कालेज, मुरादाबाद।	38 तीर्थांकर महावीर मेडिकल कालेज मुरादाबाद। 39 श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंज, गजरौला, अमरोहा। 40 श्री सिद्धी विनायक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, संभल।	22. तीर्थांकर महावीर डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर मुरादाबाद।

अनुलग्नक: ।।।

राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय

Sr.No.	Name of Colleges	Year of Inception	Total No of Seats	AIQ	Central Pool Quota	State Quota
1	किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	1911	250	37	3	210
2	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा	1947	200	30	3	167
3	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर	1956	250	37	3	210
4	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, प्रयागराज	1961	200	30	3	167
5	एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ	1966	150	22	3	125
6	एम0एल0बी0 मेडिकल कालेज, झाँसी	1968	150	23	3	124
7	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर	1972	150	22	3	125
8	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	2006	200	30	-	170
9	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर	2011	100	15	-	85
10	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज	2012	100	15	-	85
11	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ	2013	100	15	-	85
12	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन	2013	100	15	-	85
13	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर	2015	100	15	-	85
14	राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा	2016	100	15	-	85
15	डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ	2017	200	30	-	170
16	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं	2019	100	15	-	85
17	जिम्स, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर	2019	100	15	-	85
18	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या	2019	100	15	-	85
19	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती	2019	100	15	-	85
20	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच	2019	100	15	-	85
21	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद	2019	100	15	-	85
22	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहांपुर	2019	100	15	-	85
23	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फतेहपुर	2021	100	15	-	85
24	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर	2021	100	15	-	85
25	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर	2021	100	15	-	85
26	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया	2021	100	15	-	85
27	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, प्रतापगढ़	2021	100	15	-	85
28	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, मिर्जापुर	2021	100	15	-	85
29	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, एटा	2021	100	15	-	85
30	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई	2021	100	15	-	85
31	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जौनपुर	2021	100	15	-	85
32	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बिजनौर	2024	100	15	-	85
33	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर	2024	100	15	-	85
34	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कुशीनगर	2024	100	15	-	85
35	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, पीलीभीत	2024	100	15	-	85
36	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सुल्तानपुर	2024	100	15	-	85
37	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर देहात	2024	100	15	-	85
38	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, ललितपुर	2024	100	15	-	85
39	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी	2024	100	15	-	85
40	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, कौषाम्बी	2024	100	15	-	85
41	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, चन्दौली	2024	100	15	-	85
42	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गोण्डा	2024	100	15	-	85
43	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, औरेया	2024	100	15	-	85
44	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सोनभद्र	2024	100	15	-	85
45	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अमेठी	2025	100	15	-	85
46	ई0एस0आई0सी मेडिकल कॉलेज, नोएडा	2025	50	32	-	18
47	ई0एस0आई0सी मेडिकल कॉलेज, वाराणसी	2025	50	32	-	18
		Total Seats-	**5450**	**865**	**21**	**4564**

राजकीय क्षेत्र के डेण्टल कालेज

Sr.No.	Name of College	Total No of Seats	AIQ	Central Pool Quota	State Quota
1	दन्त संकाय, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ	70	9	10	51

Note :- Number of seats are variable.

अनुलग्नक: IV

निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय

S.No.	Name of Private Colleges	Year of Inception	Total No. of Seats
1-	कैरियर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक कॉलेज)	2011	150
2-	एराज़ लखनऊ मेडिकल कॉलेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक कॉलेज)	1997	250
3-	एफ. एच. मेडिकल कॉलेज, आगरा (अल्पसंख्यक कॉलेज)	2014	250
4-	इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक कॉलेज)	2013	250
5-	तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर, मुरादाबाद (अल्पसंख्यक कॉलेज)	2008	250
6-	सुभारती मेडिकल कॉलेज, मेरठ	1996	200
7-	श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बरेली	2005	200
8-	मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरनगर	2006	250
9-	रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज, बरेली	2006	250
10-	रामा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च एण्ड हॉस्पिटल, कानपुर	2008	250
11-	सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हापुड	2008	250
12-	हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी	2009	100
13-	स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज (शारदा यूनिवर्सिटी) ग्रेटर नोएडा	2009	250
14-	रामा मेडिकल कॉलेज साइन्सेज रिसर्च एवं हॉस्पिटल, हापुड	2011	250
15-	मेयो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी	2012	250
16-	राजश्री मेडिकल कॉलेज, बरेली	2014	250
17-	हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी	2015	250
18-	हिन्द मेडिकल कॉलेज, सीतापुर	2015	150
19-	के.डी. मेडिकल कॉलेज, मथुरा	2015	250
20-	कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पाली डूंगरा, सोंख रोड, मथुरा	2016	250
21-	प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	2016	200
22-	सरस्वती मेडिकल कॉलेज, उन्नाव	2016	150
23-	वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गजरौला, अमरोहा	2016	250
24-	टी.एस. मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ	2016	250
25-	वरुणार्जुन मेडिकल कॉलेज और रोहिलखंड हॉस्पिटल, शाहजहांपुर	2016	250
26-	जी0एस0 मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, हापुड	2017	250
27-	नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, मेरठ	2017	200
28-	यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, प्रयागराज	2020	250
29-	नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गौतमबुद्ध नगर	2020	250
30-	नारायणा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, कानपुर	2021	250
31-	एस0के0एस0 मेडिकल कॉलेज, मथुरा	2023	200
32-	श्री गोरक्षनाथ मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, गोरखपुर।	2024	150
33-	अजय संगल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज एण्ड रिसर्च सेन्टर एण्ड आयुषमान हास्पिटल, शामली। (पी0पी0पी0 मोड)	2024	250
34-	के0एम0सी0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, महाराजगंज। (पी0पी0पी0 मोड)	2024	250
35-	श्री सिद्धी विनायक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, संभल। (पी0पी0पी0 मोड)	2024	200
36-	डा0 बी0एस0 कुशुवाहा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कानपुर	2024	150
37-	सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड हेल्थ साइन्सेज, लखनऊ।	2026	100
38-	फूलन सिंह मेडिकल कॉलेज, एफ0एस0 यूनिवर्सिटी, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।	2026	150
39-	प्रसाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उन्नाव	2026	50
40-	राधा गोविन्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मेरठ	2026	50
		TOTAL-	8400

Note :- Number of seats are variable.

निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज

Sr. no.	Institute Name	Year of Inception	Total No of Seats
1	सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एंड मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	1996	100
2	रामा डेंटल कॉलेज, कानपुर	1996	100
3	सुभारती डेंटल कॉलेज, मेरठ	1996	100
4	सरस्वती डेंटल कॉलेज, लखनऊ	1998	100
5	डी.जे. कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च, मोदीनगर, गाजियाबाद (अल्पसंख्यक)	1999	100
6	कोठीवाल डेंटल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर, मुरादाबाद	1999	100
7	कैरियर डेंटल कॉलेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक)	2000	100
8	आई0 टी0 एस0 डेंटल कॉलेज, अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, गाजियाबाद	2000	100
9	इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलॉजीज, मोदीनगर, गाजियाबाद	2000	100
10	बीबीडी डेंटल कॉलेज, लखनऊ	2000	100
11	के0डी0 डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, मथुरा	2001	100
12	इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, बरेली	2001	100
13	चंद्रा डेंटल कॉलेज, बाराबंकी	2003	100
14	श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर, गाजियाबाद	2004	100
15-	कालका डेंटल कॉलेज मेरठ	2004	100
16	डेंटल कॉलेज, आज़मगढ़	2005	100
17	महाराणा प्रताप डेंटल कॉलेज, कानपुर	2005	100
18	तीर्थंकर महावीर डेंटल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर, मोरादाबाद (अल्पसंख्यक)	2005	100
19	पूर्वांचल डेंटल कॉलेज गोरखपुर	2005	100
20	स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज, (शारदा यूनिवर्सिटी) ग्रेटर नोएडा	2006	100
21	इंद्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, गाजियाबाद	2006	100
22	आई0टी0एस0 डेंटल कॉलेज, अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, ग्रेटर नोएडा	2006	100
	TOTAL		**2200**

Note :- Number of seats are variable.

अनुलग्नक: V

List of Disability Certification Centres who will issue Disability Certificates as per NMC norms to PwD candidates in support of their claim to avail 5% PwD reservation in UG/ Broad Speciality PG Courses

S/No.	Name of Medical Assessment Board	City/State	Specialties Available for which Eligibility Certificate can be issued as per category of Disabilities mentioned in Eligibility Certificate
1.	All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation (AIIPMR)	Mumbai	For Locomotor Disability only
2.	Goa Medical College	Goa	All Disabilities as mentioned in Eligibility Certificate except Speech Disability.
3.	Government Medical College, Thiruvananthapuram	Thiruvananthapuram , Kerala	All Disabilities as mentioned in Eligibility Certificate. Ophthalmology Tests to be conducted at Regional Institute of Ophtalmology, Thiruvananthapuram under GMC Thiruvananthapuram
4.	SMS Medical College	Jaipur, Rajasthan	All Disabilities as mentioned in Eligibility Certificate except: Neurology- Genetic Testing ENT- Speech & Language Disability Testing Orthopaedics/ PMR- GonitometerAdult. Plumb Line, Hand Dynomometer, Laser
5.	Govt. Medical College and Hospital, Sector32	Chandigarh	All Disabilities as mentioned in Eligibility Certificate
6.	Govt. Medical College, Agartala, State Disability Board	Agartala/ Tripura	All Disabilities as mentioned in Eligibility Certificate
7.	Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities, Bandra, Mumbai	Mumbai, Maharashtra	For Hearing Disabilities only
8.	AIIMS, Nagpur	Nagpur, Maharashtra	All Disabilities as mentioned in Eligibility Certificate
9.	Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences & RML Hospital, New Delhi. (ABVIMS & RMLH)	New Delhi	All Disabilities as mentioned in Eligibility Certificate except ENT For Visual Disability: Candidates who use LVAs may bring their own LVAs which can be checked.
10.	Lady Hardinge Medical College & Associated Hospitals (LHMC)	New Delhi	All Disabilities as mentioned in Eligibility Certificate
11.	All India Institute of Speech and Hearing (AIISH), Mysuru	Mysuru, Karnataka	For Speech & Hearing Disabilities only

12	Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifai, Etawah-206130	Uttar Pradesh
13	King George Medical University, Lucknow, U.P.	Uttar Pradesh
14	Civil Hospital, Ahmedabad	Gujarat
15	New Civil Hospital, Surat	Gujarat
16	PDU Hospital, Rajkot	Gujarat
17	Assam Medical College, Dibrugarh	Assam
18	Gauhati Medical College, Guwahati	Assam
19	Silchar Medical College, Silchar	Assam
20	Madurai Medical College & Govt. Rajaji Hopsital, Madurai	Tamil Nadu
21	Coimbatore Medical College Hospital	Tamil Nadu
22	Thanjavur Medical College, Thanjavur	Tamil Nadu
23	Zoram Medical College & Hospital Falkawn, Mizoram	Mizoram
24	Dr Sushila Tiwari Memorial Government Hospital (under Government Medical College, Haldwani)	Uttarakhand
25	Indira Gandhi Medical College & Hospital, Shimla-171001	Himachal Pradesh
26	Dr. Rajendra Prasad Govt. Medical College & Hospital, Kangra at Tanda.	Himachal Pradesh
27	Government Doon Medical College, Dekhrakhas Patel Nagar, Dehradun-248001	Uttarakhand
28	Pt. BD Sharma Post Graduate Institute of Medical Sciences, Rohtak	Haryana
29	AIIMS Bilaspur	Himachal Pradesh
30	All India Institute of Medical Sciences, Raipur, Chhattisgarh	Chhattisgarh

31	Pt. Jawahar Lal Nehru Memorial Medical College, Raipur Chhattisgarh	Chhattisgarh
32	Chhattisgarh Institute of Medical Sciences, Bilaspur	Chhattisgarh
33	Late Shri Baliram Kashyap Memorial Medical College, Jagdalpur, Chhattisgarh	Chhattisgarh
34	Bangalore Medical College and Research Institute (BMCRI), Bengaluru – State Capital Centre	Karnataka
35	Mysore Medical College and Research Institute (MMCRI), Mysuru – Regional Centre (South Zone)	Karnataka
36	Karnataka Institute of Medical Sciences (KIMS), Hubballi – Regional Centre (Central Zone)	Karnataka
37	Belagavi Institute of Medical Sciences (BIMS), Belagavi – Regional Centre (West Zone)	Karnataka
38	Gulbarga Institute of Medical Sciences (GIMS), Kalaburagi – Regional Centre (North-East Zone)	Karnataka
39	Rajendra Institute of Medical Sciences (RIMS) Ranchi	Jharkhand
40	Mahatma Gandhi Memorial Medical College, Jamshedpur	Jharkhand
41	SSG Hospital, Vadodara	Gujarat
42	G.G.Hospital, Jamnagar	Gujarat
43	Sir.T. Hospital, Bhavnagar	Gujarat
44	PMCH, Patna	Bihar
45	NMCH, Patna	Bihar
46	IGIMS, Patna	Bihar
47	DMCH, Darbhanga	Bihar
48	JLNMCH, Bhagalpur	Bihar

49	ANMMCH, Gaya JI	Bihar
50	SKMCH, Muzaffarpur	Bihar
51	GMC, Bettiah	Bihar
52	BMIMS, Pawapuri, Nalanda	Bihar
53	JKTMC&H, Madhepura	Bihar
54	Andhra Medical College/King George Hospital, Visakhapatnam	Andhra Pradesh
55	Guntur Medical College/Govt. General Hospital, Guntur	Andhra Pradesh
56	Kurnool Medical College/Govt General Hospital, Kurnool	Andhra Pradesh
57	RIMS, Imphal	Manipur
58	All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bhubaneswar	Bhubaneswar, Odisha
59	Andaman & Nicobar Islands Institute of Medical Sciences	Andaman And Nicobar
60	AIIMS Bibinagar	Telengana
61	AIIMS Jammu	Jammu
62	JIPMER Pondicherry	Pondicherry
63	AIIMS Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh
64	NAMO Medical Education & Research Institute	Dadar & Nagar Haveli and Daman & Diu
65	NEIGRIHMS	Shillong, Meghalaya

अनुलग्नक: VI

CHAPTER 6

ELIGIBILITY AND QUALIFICATIONS FOR MBBS AND BDS COURSE

1. ELIGIBILITY TO APPEAR IN NEET (UG) – 2026

Eligibility for appearing in **NEET (UG)**, as per related Regulations of NMC and DCI are as follows: -

As per the Graduate Medical Education Regulation-2023 (Amendment) dated 16.06.2023, following amendment with respect to minimum age has been notified in GMER-2023, which mandates that:

i) He/She has completed the age of 17 years as on or before 31st December of the year that the candidate shall be appearing for NEET-UG examination.

ii) **Accordingly, the lower age limit shall be as under:**

For Candidates of General (UR)/General-EWS	**born on or before 31.12.2009**
For Candidates of SC/ST/OBC-NCL/PwBD/PwD Category	

iii) **Upper age limit: (As per Letter No. U-11022/2/2022-UGMEB, dated 09 March 2022 received from National Medical Commission (NMC), Under Graduate Medical Education Board (UGMEB) regarding the upper age limit) there is no upper age limit.**

(As per Letter No. U-14023/19/NEET(UG Exam)/UGMEB dated 13.01.2026)

iv) Indian Citizens/ Overseas Citizens of India (OCI) intending to pursue Undergraduate Medical Courses in a foreign Medical/ Dental Institute also need to qualify for NEET (UG).

2. CRITERIA FOR NRI / OCI / FOREIGN NATIONALS

i) Non-Resident Indians (NRIs), Overseas Citizens of India (OCI), and Foreign Nationals are eligible for admission in Medical /Dental Colleges subject to rules and regulations framed by the respective State Governments, Institutions, and the Government of India, as the case may be. The NRI and OCI Applicants/Candidates have to upload a Certificate from the concerned Indian Diplomatic Mission in the country of their residence in support of their claim as an NRI/OCI Candidate, along with their online Application Form for NEET (UG) - 2026 and retain the original of such document for producing it at the time of Counselling / Admission to the Courses covered under NEET (UG). Similarly, a foreign applicant for NEET (UG) 2026 shall also upload Documentary Proof (e.g. relevant pages of a valid passport or a Certificate from the Competent Authority in the country of his/her Nationality regarding his/her citizenship status) in support of his/her Nationality, along with online Application Form. The format of Embassy Certificate and Citizenship Certificate or any Documentary proof of Citizenship are given in **Appendix – VI and Appendix – VII**. Foreign nationals may confirm their eligibility from the competent state authorities and counselling authorities, as the case may be.

ii) **Eligibility of OCI cardholders for NEET (UG):**

a) Indian Nationals, Non-Resident Indians (NRIs), Overseas Citizen of India (OCI), Persons with Indian Origin and Foreign Nationals are eligible for admission in Medical/Dental/Ayurveda/Siddha/Unani/ Homoeopathy Colleges subject to the rules and regulations framed by respective State Governments, Institutions and The Government of India, as the case may be.

b) In compliance of the Hon'ble Supreme Court Order dated 03.02.2023 in WP No. 891 of 2021, OCI will be entitled to the rights and privileges which had been conferred on them earlier to the notification dated 04.03.2021.

3. QUALIFICATIONS AND QUALIFYING EXAMINATION CODES

As per approval conveyed by the NMC *(As per Letter CDN-20011/289/2024-Cordination-NMC dated 05.12.2025 and Letter U-14023/19/NEET(UG Exam)/UGMEB dated 13.01.2026 and Email vide NMC UGSection dated 28.01.2026)*

To be eligible for NEET (UG) – 2026, candidates need to refer to the following table for qualifying examination criteria.

CODE: 01	A candidate who is appearing in the qualifying examination, whose 12th result is awaited, may apply and appear in the test but he/she shall not be eligible for admission to the **Undergraduate Medical Courses** if he/she does not pass the qualifying examination at the time of first round of Counseling. Candidates who have undertaken study of the requisite subjects i.e. Physics, Chemistry, Biology / Biotechnology along with English even as additional subjects after passing Class 12th from duly recognized boards by the concerned Govt. such candidates shall be permitted to appear in NEET-UG Test and resultantly also be eligible for grant of Eligibility Certificate as per Public Notice dated 22.11.2023. However, their candidature will be considered only if they provide documentary evidence of having passed the qualifying Examination with the required subjects.
	OR
CODE: 02	The Higher/Senior Secondary Examination or the Indian School Certificate Examination which is equivalent to class 12 Higher/Senior Secondary Examination after a period of 12 years of study, the study of the requisite subjects i.e. Physics, Chemistry, Biology / Biotechnology along with English even as additional subjects after passing Class 12th from duly recognized boards by the concerned Govt. (which shall include practical tests in these subjects) and Mathematics or any other elective subject with English at a level not less than the core course for English as prescribed by the National Council of Educational Research and Training after the introduction of the 10+2+3 educational structure as recommended by the National Committee on Education. *Public Notice dated 22.11.2023 (Para-7), consequent to the introduction of NEP and various legal issues, further adds that: The National Medical Commission in its meeting held on 14.06.2023 after detailed deliberations while taking into consideration the NEP, which permits great extent of flexibility in the study of various subjects in Class 12th, decided that the previous approach of the erstwhile Medical Council of India needs to be*

	revisited by permitting candidates to undertaken study of the requisite subjects (Physics, Chemistry, Biology / Biotechnology alongwith English) even as additional subjects after passing Class 12th from boards duly recognized by the concerned Govt. Such candidates shall be permitted to appear in NEET-UG Test and resultantly also be eligible for grant of Eligibility Certificate. If the institute has to consider an examination of an Indian University or of a foreign/university to be equivalent to the Class 12 under intermediate science examination, the candidates shall have to produce a certificate from the concerned Indian University/Association of Indian Universities to the effect that the examination passed by him/her is considered to be equivalent to the class 12 under intermediate science examination.
	OR
CODE: 03	The Intermediate/Pre-degree Examination in Science of an Indian University/Board or other recognized examining body with Physics, Chemistry, Biology /Biotechnology (which shall include practical test in these subjects) and also English as a compulsory subject.
	OR
CODE: 04	The Pre-professional/Pre-medical Examination with Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology, and English after passing either the Higher Secondary Examination or the Pre-University or an equivalent examination. The Pre-professional/Pre-medical examination shall include practical tests in these subjects and also English as a compulsory subject.
	OR
CODE: 05	The first year of the three years' degree course of a recognized University with Physics, Chemistry, and Biology/Biotechnology including practical tests in these subjects provided the examination is a University Examination and the candidate has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology/ Biotechnology with English at a level not less than a core course.
	OR
CODE: 06	B.Sc. Examination of an Indian University provided that he/she has passed the B.Sc. Examination with not less than two of the subjects Physics, Chemistry, Biology (Botany, Zoology)/Biotechnology and further that he/ she has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology, and English.
	OR
CODE: 07	Any other examination which in scope and standard (Last 02 years of 10+2 Study comprising of Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology; which shall include practical test in these subjects) is found to be equivalent to the Intermediate Science Examination of an Indian University/Board, taking Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology including practical tests in each of these subjects and English.

NOTE: *Due to the COVID outbreak, no examinations were conducted for 2021 batch of Class 10 (Tamil Nadu State Board). Accordingly, no marks were given in the marksheet and 'pass' is printed in all subjects with a disclaimer – "As per G.O. (Ms) No. 48, School Education (G.E.) department dated: 25.02.2021, all candidates who studied SSLC in the academic year 2020-21 are declared passed."*

While filling up of the online Application Form of NEET (UG) - 2026, when the candidate selects 'Passing year' as 2021 with 'School Board' as Tamil Nadu State Board of School Examination (Sec.), the Result Mode field will be disabled and the associated fields for Marks/CGPA will be invisible for Tamil Nadu State Board candidates who have passed their Class 10 in year 2021

Note:

- *The candidates who have studied from the Foreign/International Board should ensure that the qualifying examination passed by them is, in scope and standard, as explained in CODE: 07.*

अनुलग्नकः VII

संख्या–18/1/2008–का–2/2015

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–2

लखनऊ, दिनांक : 21 अप्रैल, 2015

विषय :– स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित को राज्याधीन लोक सेवाओं में आरक्षण प्राप्त करने हेतु दिये जाने वाले आश्रित प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

"उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2015" के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री के पुत्र एवं पुत्री को सम्मिलित किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के "आश्रित" जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा–2 के खण्ड (ख) में परिभाषित है, के निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में सक्षम प्राधिकारी/ अधिकारी अर्थात् जिलाधिकारी द्वारा ही आश्रित प्रमाण–पत्र निर्गत किये जायें।

3– अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त से अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों/ अधिकारियों को अवगत कराते हुए तद्नुरूप कार्यवाही सुनिश्चित् कराने का कष्ट करें।

संलग्नक – यथोक्त

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–18/1/2008(1)–का–2/2015–तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2) प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण–पत्र

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती ..... निवासी ग्राम–....., तहसील–....., नगर–....., जिला–..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित)..... ..... पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)..... ..... के आश्रित हैं।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर .....
पूरा नाम .....
पदनाम .....
मुहर .....

जिलाधिकारी
(सील)

अनुलग्नकः VIII

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र- I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-..... दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष ..... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पुत्र/पति/पुत्री ..... ग्राम/कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस ..... थाना .....

तहसील ..... जिला ..... राज्य .....

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पति नहीं है:-

I. 5 (पाँच) एकड कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... जाति ..... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गो के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर ..... (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम .....

पदनाम .....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

अनुलग्नकः IX

सैनिक आश्रित प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व सैनिक नं0 .....

रैंक..... नाम .....

पुत्र श्री ..... निवासी .....

..... जिला .....

का निवासी है। इन्होंने कोर/रेजीमेन्ट ..... में

दिनांक ..... से .....

तक सैन्य सेवा की है।

2. भूतपूर्व सैनिक का परिचय पत्र संख्या ..... दिनांक .....

को जारी किया गया है।

3. उक्त भूतपूर्व सैनिक के निम्न आश्रित हैः–

क्रम सं0	नाम	आयु (जन्मतिथि)	सम्बन्ध
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....

पत्रांकः जि0सै0क0/प्रमाण पत्र/ /20

कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, जनपद .....

दिनांक.....

जिला सैनिक कल्याण एवं
पुनर्वास अधिकारी
जनपद .....

अनुलग्नक: X

AGREEMENT BOND FOR CANDIDATES ADMITTED TO

---------- COURSE ---------- SESSION

THIS DEED OF AGREEMENT BOND IS EXECUTED AT ---------- ON THIS DAY OF ----------

BETWEEN

NAME ----------
S/O, D/O, W/O ----------
RESIDING AT (PERMANENT ADDRESS) ----------
(TEMPORARY ADDRESS) :----------
MOBILE NO.: ----------
E-Mail id.: ----------
AADHAR No.: ----------
Hereinafter referred to as ("FIRST PARTY") of the one part

AND

Governor of Uttar Pradesh (here in after referred to as "Government") of the Second Part.

WHEAREAS FIRST PARTY has applied for admission to ---------- course and FIRST PARTY has been selected to the said course. As per the Prospectus, the FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period not less than two year after successful completion of the ----------course. If the FIRST PARTY fails to serve the government for a period of two year the FIRST PARTY shall forthwith pay a sum of Rs. 10 Lacs for Degree to Government at the specified Government Treasury. During the above period the FIRST PARTY shall be paid Stipend and the Government will request their services within a period of three months from the date of successful completion of the ---------- course. In case the Government does not provide services in mentioned period, the BOND shall be released; AND WHEREAS the FIRST PARTY has also agreed that on successful completion of the ---------- course his/her certificates relating to ---------- course will not be given to the FIRST PARTY unless the FIRST PARTY successfully Serves the Government for a period of two year or pay to the Government on demand the sum of Rs.---------- (Rupees ----------) only.

If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rates specified by the Government as per applicable law during the period 'of delay: AND WHEREAS the Government have, at the request of the FIRST PARTY ---------- employed as ---------- granted stipend to him/her for a period of 24 months effect from ----------in order to enable his/her to study at ---------- college.

AND WHERE AS if the FIRST PARTY ---------- work s for a period of less than 24 months during the ---------- Super specialty course DM/MCH/---------- Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree MBBS/BDS course, the proportionate amount will be

treated as stipend and the FIRST PARTY ---------- shall pay back in addition to the security amount of Rs.....(Rupees----------only) the balance amount of stipend to the Government. This bond shall in all respects be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.

NOW THIS DEED OF AGREEMENT BOND WITNESSES AS FOLLOWS: -

1. The FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period of two year on successful completion of the ---------- Super specialty course DM/MCH/Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree MBBS/BDS course. If the FIRST PARTY fails to serve the Government for a period of two year, FIRST PARTY shall pay forthwith a sum of Rs. ----------(Rupees ----------only) to the Government in the specified Government Treasury.
2. The FIRST PARTY Agrees that till the successful completion of the period of two year service to the Government or till the payment of Rs. ---------- (Rupees ----------) only is paid the certificates relating to ---------- Super specialty course DM/MCH/----------Post Degree MD/MS/Diploma/MDS/ Graduate Degree MBBS/BDS course shall be in the custody of the Concerned Institution/University/College and the Government has a First lien over all the certificates gained by the candidates at the time of admission.
3. The FIRST PARTY authorizes the Concerned Institution/University/College for retention of the certificates till the lien of Government is cleared/discharged.
4. This BOND shall in all respect be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.
5. If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rate specified by the Government as per applicable law during the period of delay, failing which Government shall have right to recover the aforesaid amount together with interest as arrear of land revenue.
6. The FIRST PARTY shall borne the Stamp duty chargeable on this BOND IN WITNESS WHEREOF parties to this Deed have signed this BOND on the date first above mentioned.

For and behalf of
FIRST PARTY
( )

For and behalf of
Governor
( )

Witnesses : -